न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 30/2014

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1. रामचरण अग्रवाल पुत्र रामजी दास अग्रवाल निवासी–मंत्री मोहल्ला वार्ड 5, परबतसर फर्म – अग्रवाल किराणा स्टोर, ग्वारिया बास, परबतसर जिला नागौर 2. संगीता बजाज, बजाज स्ट्रीट, गांव रोल, तह. – जायल जिला नागौर। फर्म – मैसर्स शीतल एजेन्सी, पुरानी धान मंडी के पीछे, नागौर। 3. कुलदीप दीक्षित पुत्र राजाराम दीक्षित नि.–भागपुर, पो. जलालाबाद जिला शाहजहापुर जरिये निर्माता फर्म – नमस्ते इण्डिया फूडस प्रा. लि. प्लॉट नं. 339ए रोड नं. 17 वी. के. आई जयपुर। 4. नमस्ते इण्डिया फूडस प्रा. लि. प्लॉट नं. 339ए रोड नं. 17 वी.के. आई जयपुर। जरिये नोमिनी निर्माता फर्म– कुलदीप दीक्षित पुत्र राजाराम दीक्षित नि.–भागपुर, पो. जलालाबाद जिला शाहजहापुर

आदेश दिनांक :12.10.2022

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 01-03-2014 को मैसर्स अग्रवाल किराणा स्टोर, ग्वारिया बास, परबतसर जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ घी में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 561 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस / 44 / एक्ट / 2014 / 65 दिनांक 13.03.2014 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ घी मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रामचरण अग्रवाल पुत्र रामजी दास अग्रवाल निवासी–मंत्री मोहल्ला वार्ड 5, परबतसर, संगीता बजाज, बजाज स्ट्रीट, गांव रोल, तह. – जायल जिला नागौर, कुलदीप दीक्षित पुत्र राजाराम दीक्षित नि.–भागपुर, पो. जलालाबाद जिला शाहजहापुर तथा नमस्ते इण्डिया फूडस प्रा. लि. प्लॉट नं. 339ए रोड नं. 17 वी.के.आई. जयपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 08-09-2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री दिनेश हेडा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 04 की ओर से श्री इरफान हुसैन अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 की ओर से दिनांक 12.10.2022 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर लोक अदालत की भावना से पत्रावली को निर्णित करवाने का निवेदन किया।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस / 44 / एक्ट / 2014 / 65 दिनांक 13.03.2014 के अनुसार खाद्य पदार्थ घी का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 रामचरण अग्रवाल पुत्र रामजी दास अग्रवाल निवासी– मंत्री मोहल्ला वार्ड 5, परबतसर, व अन्य पर रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)